

2026:AHC:51575

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - 9434/2026

राम सूरत एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता

: मैनुद्दीन अहमद

प्रतिवादि(यों) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., रमेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या – 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादी को नोटिस निर्गत कर इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी स्वयं को उक्त आदेश से प्रभावित अनुभव करे, तो आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. याचीगण ने वर्तमान याचिका इस प्रार्थना के साथ योजित की है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 को यह निर्देश दिया जाए कि वे मौजा अछार, तहसील सदर, जनपद मऊ में स्थित गाटा संख्या 973/0.3020 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 1061/0.2280 हेक्टेयर से संबंधित, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 21/24 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी, सदर तहसील, सदर, जनपद मऊ द्वारा वाद संख्या 4273 वर्ष 2021 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी 202115510104273) (राम सूरत बनाम राज्य) में पारित आदेश दिनांक 5.2.2022 तथा साथ ही वाद संख्या 4272 वर्ष 2021 (कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या टी202115510104272) (राम सूरत बनाम सखराज बाल गोविंद, कैलाश) में पारित आदेश दिनांक 5.2.2022 का अनुपालन सुनिश्चित करें।
4. यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यद्यपि पर्याप्त समय व्यतीत हो चुका है, तथापि आज दिनांक तक उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है।
5. इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा वादों के एक समूह में, जिसमें प्रमुख वाद रिट-सी संख्या 35470 सन् 2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य) है, जो दिनांक 18.12.2025 को निर्णयित किया गया, में विधि सुव्यवस्थित रूप से प्रतिपादित की जा चुकी है, जिसमें अनुच्छेद संख्या 44 से 46 में निम्नलिखित निर्देश प्रदान किए गए हैं :-

“44. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 उप-जिलाधिकारी (एस.डी.ओ.) को सीमांकन संबंधी विवादों के संक्षिप्त निस्तारण हेतु वैधानिक अर्द्ध-न्यायिक शक्तियां प्रदान करती है,

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जिसके साथ सीमांकन एवं कब्जा बहाली के प्रभावी क्रियान्वयन की अनिवार्य शक्ति भी निहित है। आदेश का अनुपालन वैकल्पिक न होकर उक्त प्रावधान की प्रभावशीलता का अभिन्न अंग है—इसके अनुपालन में विफलता संपूर्ण संक्षिप्त प्रक्रिया को निष्प्रभावी कर देती है तथा विधायी आशय को विफल करती है। प्रस्तुत व्यापक दिशानिर्देशों का उद्देश्य एक सुव्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करना है, जो वैधानिक प्रावधानों (संहिता, 2006 की धारा 24; नियमावली, 2016 का नियम 22), कार्यपालिका के निर्देशों (दिनांक 16.12.2025 के शासनादेश), प्रशासनिक विधि के सिद्धांतों तथा निष्पक्षता एवं लोक व्यवस्था के संवैधानिक दायित्वों के मध्य समन्वय स्थापित करती है। संबंधित प्रतिवादीगण, विशेषतः उप-जिलाधिकारी (एस.डी.ओ.) तथा जिलाधिकारी, विधि द्वारा बाध्य हैं कि धारा 24 के अंतर्गत पारित आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

45. उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त दिशानिर्देशों का राज्य भर के समस्त राजस्व प्राधिकारियों के बीच प्रसार किया जाए। साथ ही, अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने तथा आरसीसीएमएस प्रोटोकॉल के अनुपालन हेतु उपयुक्त व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए।

46. प्रतिवादीगण, विशेषतः संबंधित उप-जिलाधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे इस वाद-समूह की वर्तमान रिट याचिकाओं में पारित समस्त आदेशों का, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, स्वीकृत साइट मेमो/सीमांकन प्रतिवेदन के अनुसार कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, जिसमें सीमा चिह्नों की स्थापना तथा आवश्यकतानुसार कब्जा बहाली भी सम्मिलित हो। "

6. उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए संबंधित उप-जिलाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 5.2.2022 के आदेश का, विधि के अनुसार तथा उपर्युक्त उद्धृत **मीना देवी (उपर्युक्त)** वाद में की गई टिप्पणियों के आलोक में, कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें, यदि इसमें कोई विधिक बाधा न हो।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

13 मार्च, 2026